न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

भूरी बनाम शैतान व अन्य

किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 240/2025 (दूदू)

रिमान्ड 21/5/25

	श्री सलमान खान	
21.05.2025	भूरी बनाम शैतान चौधरी वगैरह (2025/240) यह अपील श्री सलमान खान एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 7/2025 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियमं पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो देरी के कारण अंकित किये है जो सदभाविक व संतोषजनक है। **अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।** तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन एवं अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.01.2025 को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया, जिसे दर्ज कर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अंतरिम स्थगन आदेश पेशी दिनांक 03.03.2025 तक जारी किया गया। तत्पश्चात दिनांक 02.04.2025 को अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन हैं तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। **अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

682
श्री सलमान खान Adv. द्वारा अपील पेश की, एवं जांच रिपोर्ट हेतु पेश हो/2
राजस्व अपील अधिकारी अजमेर
21/5/25

2025/240
21/5/25

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

अपील/टीए/ 240 /2025/जिला जयपुर

भूरी देवी पुत्री भैरू पत्नि अमराराम जाति जाट निवासी काकरिया तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

...अपीलान्ट

बनाम

1. शैतान चौधरी पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी माधोपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर।
2. कमला पत्नि भंवरलाल जाति जाट निवासी माधोपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक कार्यालय दूदू जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दूदू जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय न्यायालय विद्वान उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर 22–01–2025 जो की प्रकरण संख्या 07/2025 बउनवानी 'शैतान वगैरह बनाम भूरी वगैरह " में पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलांट की ओर से निम्नांकित निवेदन है:–

यह कि प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 वादीगण ने एक वाद न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष बाबत खातेदारी घोषणा, तकास्मा स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 100 के आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 3.7900 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 3.790 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम माधोपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर स्थित है जो

Salman Adv.

Scanned with CamScanner